राजस्थान सरकार

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2022–23 का प्रशासनिक प्रतिवेदन

पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538
E-mail:- dir-pen-rj@nic.in
Website: www.rajpension.nic.in

प्रस्तावना

राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहाँ सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु पृथक से पेंशन विभाग की स्थापना की गई । पहले यह कार्य महालेखाकार, राजस्थान द्वारा किया जाता था, किन्तु सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.14(23)वित्त/ग्रुप–।।।/76 दिनांक 17.09.1979 द्वारा इस विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 को की गई थी। इस प्रकार दिसम्बर, 1979 से निरन्तर, राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, पेंशन विभाग द्वारा ही निस्तारित किये जा रहे हैं। विभाग का विकेन्द्रीकरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्व रूप से वर्ष 1993 से 1996 के मध्य जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर क्षेत्रीय कार्यालयों की तथा वर्ष 2014–15 में भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गयी।

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियॉ जारी करने, स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों के एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ।

पेंशनर्स के कल्याण एवं उनके समस्त प्रकार के पेंशन दावों का समय पर निष्पादन करने हेतु पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग कृत संकल्प एवम् सतत् प्रयासरत है।

निदेशक

संगठनात्मक ढाँचा

विभाग का निदेशालय, ज्योति नगर, जयपुर में राजकीय भवन में स्थित है । विभाग का विकेन्द्रीकरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्व रूप से वर्ष 1993–94 में जोधपुर एवं उदयपुर, वर्ष 1994–95 में कोटा एवं बीकानेर, वर्ष 1995–96 में अजमेर तथा वर्ष 2014–15 में भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई । क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत अधिकारियों, राजस्थान न्यायिक सेवा एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्षों को छोड़कर शेष सभी पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है ।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा पृष्ठ संख्या 3 पर दर्शाया गया है तथा विभाग में स्वीकृत विभिन्न पदों का विवरण पृष्ठ संख्या 14 पर दर्शाया गया है ।

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर का संगठनात्मक ढाँचा

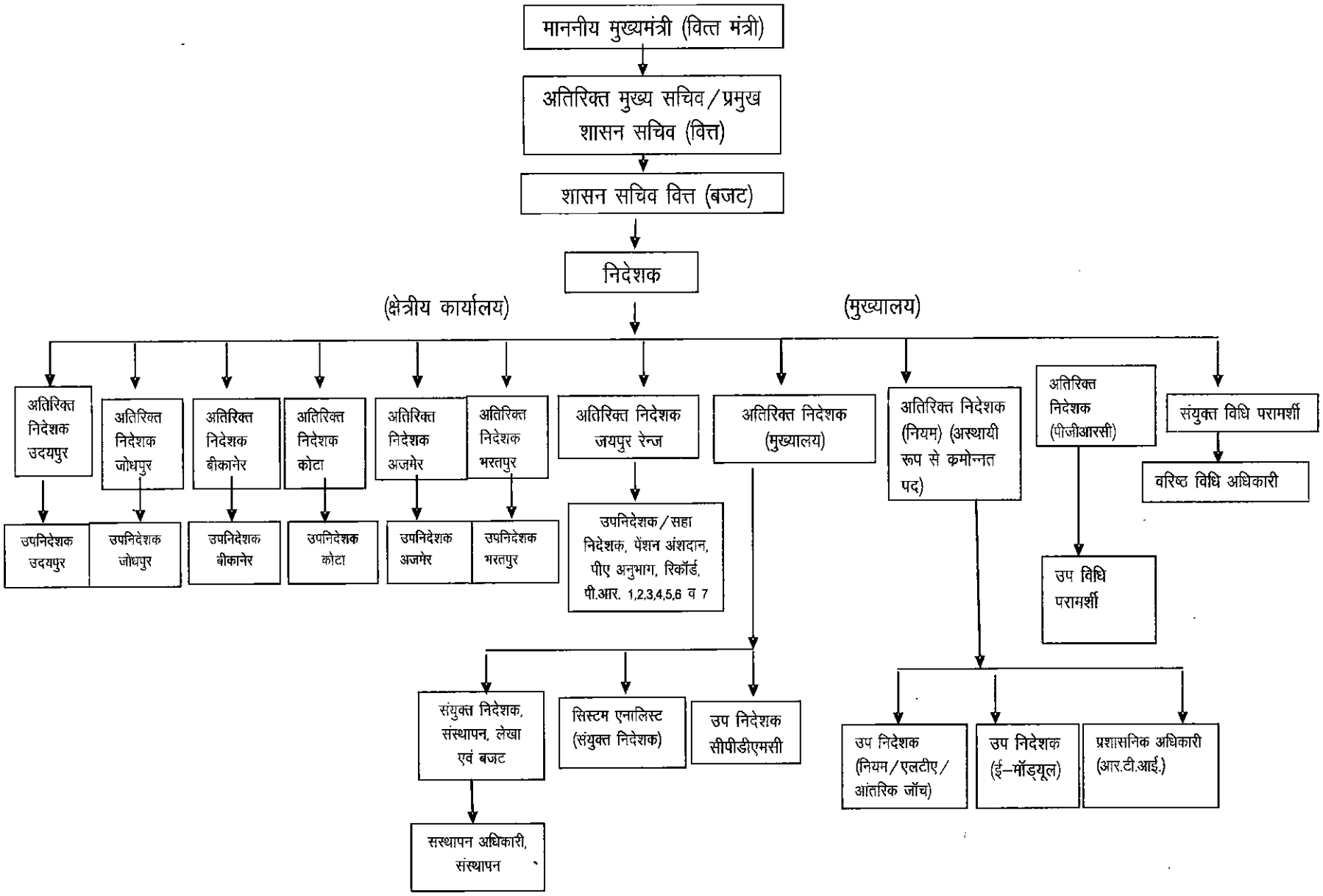

3

1. <u>विभागीय कार्यकलाप</u>

<u>विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नांकित कार्य निष्पादित किये जाते हैं :–</u>

1. राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियाँ जारी करना ।
2. राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों संबंधी अधिकृतियाँ जारी करना ।
3. स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने संबंधी कार्य ।
4. पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पेंशन संबंधी कार्य ।
5. भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ से संबंधित पेंशन के मामले।
6. भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ।
7. भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों के पेंशन संबंधी कार्य ।
8. राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पेंशन संबंधी कार्य ।
9. नगरपालिका/परिषदों, नगर निगम, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी मामले ।
10. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान राशि अधिकृत करना ।
11. जीवनकालीन बकाया/पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना ।
12. उपादान के कालातीत मामलों को पुनर्वेध करना ।
13. पेंशन अंशदान वसूली एवं सेवा सत्यापन का कार्य ।
14. आर.पी.एम.एफ. स्कीम के बकाया चिकित्सा दावों/कोर्ट कैसेज का निस्तारण।
15. केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत एकल आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभों का भुगतान ।
16. पेंशन प्रक्रियाओं का सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोगों से सरलीकरण, एवं ऑनलाईन व्यवस्थाओं द्वारा कार्य निष्पादन एवं पेंशन भोगियों हेतु ऑनलाईन सुविधाओं को उपलब्ध करवाना।

2. <u>बजट वर्ष 2022–23 :–</u>

वर्ष 2022–23 के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान तथा व्यय निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2022–23	दिसम्बर 2022 तक व्यय
1.	2054– खजाना तथा लेखा प्रशासन 800– अन्य व्यय (02)– निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण (आ.भिन्न) दत्तमत्त	2649.52	1865.74
2.	2071– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ 01 – सिविल 101,102,104,105,106,110(01),115,200, 800(01)	2411200.00	1863347.98
3.	2075– विविध सामान्य सेवाऐं 104 – विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार (05) – विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पेंशन (आ.भिन्न) दत्तमत्त	5.00	1.89
4.	2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 – अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 – समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन (03) – राज्य सरकार के पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा (01) – निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के माध्यम से 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	0.01	–
5.	6235– सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिये कर्ज 02 – समाज कल्याण 800 – अन्य कर्ज (04) – पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना (01)– राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार (राज्य निधि)	0.01	–

बजट मद 2071– पेंशन तथा सेवानिवृत्त हितलाभ से संबंधित गत 6 वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकडे निम्नानुसार हैं :–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक व्यय (राशि लाखों रू. में)
2016–17	1158065
2017–18	1281894
2018–19	1857350
2019–20	1877485
2020–21	2020946
2021–22	2141668
2022–23(अन्तरिम व्यय दिसम्बर 2022 तक)	1863347.98

3. कोषवार पेंशनर्स की संख्या निम्न प्रकार है :–

दिनांक 31.12.2022 को पेंशनर्स की कोषवार संख्या निम्न प्रकार है:–

क.सं.	कोषालय का नाम	पेंशनरों की संख्या	क.सं.	कोषालय का नाम	पेंशनरों की संख्या
1.	अजमेर	21928	20.	जैसलमेर	4934
2.	अलवर	25067	21	जालौर	5160
3.	बांसवाडा	12433	22.	झालावाड	8054
4.	बांरा	6469	23.	झुन्झुनू	15586
5.	बाडमेर	8679	24.	जोधपुर (ग्रामीण)	31739
6.	ब्यावर	5256	25.	करौली	8064
7.	भरतपुर	21348	26.	कोटा	21470
8.	भीलवाडा	16455	27.	नागौर	15135
9.	बीकानेर	21785	28.	पाली	12948
10.	बूंदी	7598	29.	प्रतापगढ	3131
11.	चित्तौडगढ	10962	30.	राजसमन्द	7394
12.	चूरू	11833	31.	सवाईमाधोपुर	8443
13.	दौसा	9035	32.	सीकर	17867
14.	धौलपुर	6337	33.	सिरोही	6008
15.	डूंगरपुर	9109	34.	टोंक	9472
16.	श्रीगंगानगर	13163	35.	उदयपुर (ग्रामीण)	27001
17.	हनुमानगढ.	9431		महायोग	**492822**
18.	जयपुर (पेंशन)	73528			
19.	जयपुर (ग्रामीण)	–			

4. <u>पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु किये गये प्रयास :–</u>

पेंशन विभाग द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु सघन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी हैं । विभाग द्वारा सभी विभागों को समय–समय पर परिपत्र जारी कर सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का पर्यवेक्षण कर यथा समय प्रकरण भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय पेंशन प्रकरण निस्तारण समितियॉ संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की हुई हैं, जिसमें जिले का कोषाधिकारी सदस्य सचिव हैं तथा जिला स्तर के विभागीय अधिकारी एवं पेंशन विभाग के प्रतिनिधी सदस्य हैं ।

5. <u>पेंशन प्रकरणों का निस्तारण</u> :– चालू वित्तीय वर्ष में 01.04.2022 से 31.12.2022 तक कुल 18635 नवीन पेंशन प्रकरण एवं 5750 संशोधित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जिनकी संभागवार संख्या निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	नाम संभाग	नवीन पेंशन प्रकरण	संशोधित पेंशन प्रकरण
1.	अजमेर	2517	961
2.	बीकानेर	2107	955
3.	जयपुर	4967	1784
4.	जोधपुर	3042	887
5.	कोटा	1515	273
6.	उदयपुर	2865	644
7.	भरतपुर	1622	246
	योग	**18635**	**5750**

<u>प्री–2016 पेंशन रिवीजन:–</u> राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2018 व 05.10.2018 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व (प्री–2016) सेवानिवृत पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन को सातवें वेतनमान के अनुसार पे–मेट्रिक्स के अनुरूप संशोधन करने के निर्देश जारी किये गये है। प्री–2016 के पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन का यह कार्य दिनांक 01.01.1991 से 31.12.2015 तक सेवानिवृत पेंशनर्स के लिए कोषालय स्तर पर एवं 01.01.1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स के संशोधन, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2022 तक कोषालय स्तर पर संचयी रूप से प्राप्त 283287 आवेदनों में से 264563 का निस्तारण किया गया है जो 93.39 प्रतिशत है।

6. <u>विशेष प्रयास :–</u>

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित आन लाईन शिकायत निवारण प्रकिया के अन्तर्गत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से जनवरी, 2022 से दिसम्बर 2022 तक पेंशन संबंधी कुल 1697 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 1677 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों यथा मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग आदि के माध्यम से तथा सीधे पेंशनरों से प्राप्त परिवेदनाओं का भी निस्तारण किया गया है।

7. <u>पेंशन विभाग में कम्प्यूटर द्वारा कार्य निष्पादन व प्रगति :–</u>

राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के पेंशन प्रकरण को वर्ष 1990–91 से कम्प्यूटरीकृत अधिकृतियॉ जारी करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। वर्ष 2013–14 से सम्पूर्ण मूल अधिकृतियों एवं रिवाईज्ड अधिकृतियों का निस्तारण का कार्य NIC द्वारा IFMS प्रोजेक्ट के तहत बने Integrated Financal Pension Managment System पोर्टल द्वारा मुख्यालय एवं इसके समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों– अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में प्रारम्भ कर दिया गया था। IFPMS पोर्टल विभाग की आवश्यकतानुसार निरन्तर परिष्कृत किया जा रहा है। IFPMS पोर्टल द्वारा पेंशन एप्लीकेशन प्राप्त होने पर इसकी सूचना पेंशनर को SMS द्वारा प्रेषित की जा रही है।

1. **ऑनलाइन पेंशन प्रकरण प्राप्त करना :–** राज्य सरकार पेंशनर्स व राज्य के कार्मिकों को इलेक्ट्रोनिक सुविधायें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कडी में सेवानिवृति के समय कार्मिक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रों को एनआईसी द्वारा विकसित ई–मॉडयूल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का कार्य किया गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 27.10.2020 को किया गया। इससे कार्मिक सुगमता से पेंशन प्रपत्र कम्प्यूटर पर तैयार कर कार्यालध्याध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष, पेंशन विभाग को ऑनलाइन प्रेषित कर सकेंगें।विभाग के पोर्टल पर पेंशनरों से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन जांच कर विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियां डिजिटल हस्ताक्षरों द्वारा जारी की जा रही है। पारिवारिक एवं पेंशन के संशोधन संबंधी आवेदनों को भी ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था अत्यन्त सुगम एवं सरल है जिससे समय की बचत होती है।

2. **ई–पेंशन अधिकृतियां ऑनलाइन जारी किया जाना :–** पेंशन विभाग द्वारा पेंशन, पारिवारिक, संशोधित, उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन की अधिकृतियां ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से जारी की जा रही है। पेंशनर एवं संबंधित विभाग भी इन अधिकृतियों को पेंशन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

3. **नियमों में संशोधन :–** पूर्व में पेंशन नियमों के अनुसार आवेदन के साथ कार्मिक की सेवापुस्तिका भी मंगवाई जाती थी उक्त व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है, साथ ही एक अन्य संशोधन के अनुसार प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति के प्रकरण में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ग्रेच्यूटी का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. **ई–कुबेर पेंशन से भुगतानः–** पेंशन विभाग द्वारा अब केन्द्रीकृत रूप से एकल आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य के समस्त पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। पूर्व में यह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जा रहा था। विभाग में इस हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसमें सिस्टम द्वारा जनरेटेड बिलों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई–कुबेर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का वितरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से एजेन्सी बैंकों को भुगतान की जाने वाली राशि की बचत हुई है तथा प्रक्रिया सुगम हुई है।

5. **पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना :–** राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से दिनांक 01.01.2004 एवं इनके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को नवीन पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत अधिकृतियां जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022–23 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों हेतु OPS लागू कर लाभ दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 31.12.2022 तक कुल प्राप्त 787 प्रकरणों में 477 पीपीओ, 477 जीपीओ एवं 213 सीपीओ की अधिकृतियॉ जारी की गई हैं।

6. **पोर्टल के माध्यम से पेंशनरों को सुविधा प्रदान करना :–** पेंशनरों को सुविधा उपलब्ध कराते हुए विभाग अपनी वेबसाइट के माध्यम से मासिक पेंशन स्लिप, वार्षिक विवरण एवं आयकर संबंधी प्रपत्र 16 को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, पेंशनर इन्हें अपनी सुविधा अनुसार विभागीय पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी अपने निवेश की सूचना वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विभागीय पेंशन पोर्टल आईएफपीएमएस पर पेंशनर अपना विवरण यथा मोबाइल नम्बर, पेन नम्बर, आधार नम्बर आदि को अपडेट कर सकते हैं। पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र को भी ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु निदेशालय ने पेंशन ग्रिवेंसिस रिड्रसल सेल (PGRC) की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु कार्यशील है।

पेंशनरों द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न माध्यमों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। जिनमें सभी ई–मित्र सेवा केन्द्रों , डाकघरों एवं पेंशन विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध बायोमेट्रिक मशीनों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, प्राधिकृत अधिकारियों से प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के लॉगिन से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने या स्वयं उपस्थित होकर पेंशन अथवा कोष कार्यालय में प्रस्तुत करना, जीवन प्रमाणन फेस ऐप के माध्यम से आधारित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है। जयपुर स्थित कोष कार्यालय के एक्सटेंशन काउंटर की स्थापना जयपुर शहर के पेंशनरों को सुविधा प्रदान कराते हुए पेंशन कोषालय का एक एक्सटेंशन काउंटर निदेशालय में प्रारंभ किया गया है। यह कार्यालय दिनांक 01.12.2022 से कार्यरत है। जिसमें उपस्थित होकर पेंशनर प्रथम भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएं, दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।

7. एप्लीकेशन प्रोग्राम इन्टरफेस (**API**) के माध्यम से **IFPMS** पोर्टल सेवाओं में निम्न विस्तार किया गया है :–

अः– IFPMS पोर्टल (https://pension.raj.nic.in) एवं बजट पोर्टल (https://ifms.raj.nic.in) को ऑनलाईन लिंक करके Leave Encashment हेतु बजट आंवटन किया जा रहा है।

बः– IFPMS पोर्टल एवं पे–मैनेजर पोर्टल (https://paymanager.nic.in) को ऑनलाईन लिंक करके पेंशनर्स डेटा का Employee Code के आधार पर उपभोग करके मूल पेंशन अधिकृतियों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है।

सः– पे– मैनेजर पोर्टल द्वारा Leave Encashment बिलों के प्रोसेसिंग हेतु PPO नम्बर आवंटित होने के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जा रहा है।

दः– एम्पलाई द्वारा ई–पेंशन एप्लीकेशन द्वारा हैड ऑफ ऑफिस(HOO) को ऑनलाईन पेंशन आवेदन करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण कर पेंशन प्रकरण का निस्तारण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। उक्त ई–पेंशन सेवा में पे–मैनेजर से ईम्पलाई आईडी के आधार पर डेटा का उपयोग किया जा रहा है।

यः– पेंशनर का डाटा API द्वारा RGHS Card बनवाने हेतु उपयोग किया जा रहा है। पेंशनर की A/c detail, SI and GPF department को Gratuity and Commutation का हिस्सा जमा करवाने हेतु API द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। Pensioners details जन सूचना पोर्टल पर API द्वारा प्रदान की गई है।

8. मुख्यालय जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा EPPO के अन्तर्गत अपलोडेड वर्णानात्मक नामावली से एवं कोषालय पर लिगेसी पेंशनर्स डेटा से पहचान पत्र बनाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। आदिनांक तक कुल 247505 पेंशनर्स को पहचान पत्र बनाकर वितरित किया जा चुका है।

9. विभाग ने 01.05.2018 से 31 दिसम्बर 2022 तक 1,06,196 पेंशनर को Digital Sign हस्ताक्षर से अधिकृतियॉ जारी की गई है।

10- IFPMS पोर्टल द्वारा प्री–2016 की रिवाईज्ड अधिकृतियॉ भी जारी की जा रही हैं।

11- IFPMS पोर्टल द्वारा सृजित दैनिक एवं मासिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण रिपोर्ट के माध्यम से पेंशन प्रकरण प्राप्ति से लेकर उनके निस्तारण तक की समस्त प्रकिया को विभिन्न चरणो से निगरानी रखी जा रही है। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानानुसार प्राप्त पेंशन प्रकरणों को 30 कार्य दिवस एवं पारिवारिक पेंशन प्रकरणों को 15 कार्यदिवस में निस्तारण का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

12- IFPMS पोर्टल द्वारा कोषालय पर निम्न सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैः–

कः– लिगेसी पेंशनर्स डेटा का मासिक संधारण एवं वेरिफिकेशन कार्य किया जा रहा है।

खः– नये पेंशनर्स की अधिकृतियों के बिल ऑनलाईन पेमेंट हेतु प्रोसेस किया जा रहा है।

गः– पेंशन एरियर की गणना करके ऑनलाईन पेमेंट किया गया।

घः– नये पेंशनर्स के प्रथम भुगतान के समय पेंशनर्स के डिजिटल हस्ताक्षरित मूल अधिकृति, ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन अधिकृतियों को पे–मैनेजर पोर्टल द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

ङः– माह दिसम्बर 2021 से सभी पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान बैंको के माध्यम से न करके RBI के E-kuber system के माध्यम से भुगतान शुरू किया गया है।

13. पेंशन विभाग जयपुर का ई–मेल पता: dir-pen-rj@nic.in

Jodhpur – jdpen-jod-rj@nic.in;
Ajmer – jdajmer.pension@rajasthan.gov.in;
Udaipur- jdpensionudaipur123@gmail.com;
Bikaner- jdpenbik@gmail.com;
Kota- jdpension.kota@rajasthan.gov.in;
Bharatpur- jdpensionbharatpur@gmail.com;

8. न्यायालय संबंधी मामले :–

राज्य सरकार के पेंशनर्स द्वारा पेंशन से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न न्यायालयों में याचिका/वाद दायर किये जाते है, जिनमें संबंधित विभागों को मुख्य पक्षकार बनाते हुये पेंशन विभाग को भी औपचारिक पक्षकार बनाया जाता है। इन मामलों में मुख्य पक्षकार पेंशन स्वीकृतकर्त्ता विभाग ही होता है। अतः संबंधित विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा कर इस विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर सभी पक्षकारों की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जाता है। कुछ मामलों में जिनमें पेंशन विभाग मुख्य पक्षकार होता है, उनमें कार्यवाही पेंशन विभाग के स्तर से प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जा कर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करवाकर आवश्यक कार्यवाही कराई जाती है।

वर्तमान में ऐसे प्रकरण जिनमे पेंशन विभाग मुख्य पक्षकार है ऐसे प्रकरणों की विभिन्न न्यायालयों मे संख्या कार्यालय रिकॉर्ड एवं लाईट्स पोर्टल के आधार पर निम्नानुसार है:–

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	अपील अधिकरण	अधीनस्थ न्यायालय	उपभोक्ता मंच
03	140	22	13	03

उपरोक्त में से 2 अवमानना प्रकरण उच्च न्यायालय, जयपुर में तथा 3 अवमानना प्रकरण राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में लम्बित है।

इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशन विभाग अनौपचारिक पक्षकार विभाग है ऐसे प्रकरणों की न्यायालयों संख्या कार्यालय रिकॉर्ड के आधार निम्नानुसार है:–

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	अपील अधिकरण	अधीनस्थ न्यायालय	उपभोक्ता मंच
50	2259	513	265	40

उपरोक्त में से 32 अवमानना प्रकरण उच्च न्यायालय में लम्बित है तथा 35 प्रकरण राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण में लम्बित है।

9. अंशदान वसूली की कार्यवाही

(अंशदान वसूली विवरण वर्ष 2022–23 –मद 0071–01–101–02–00)

विभिन्न स्वायत्तशाषी संस्थाओं/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन अंशदान/अवकाश वेतन अंशदान वसूली का कार्य राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(20)वित्त/राले–I/88 दिनांक 31.3.1989 के द्वारा दिनांक 01.04.1989 से पेंशन विभाग द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है।

पेंशन अंशदान वसूली से प्राप्त आय/होने वाली संभावित आय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रूपयों में)

वास्तविक आय वर्ष 2022–23	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2021–22	वास्तविक आय अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक
29.94(लगभग) (दिसम्बर 2022 तक)	50.00	29.94

तालिका में दर्शायी गयी राशि निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग से संबंधित पेंशन अंशदान के सम्भावित राशि का विवरण है। इस बजट शीर्ष में पेंशन विभाग द्वारा जमा राशि एवं विभिन्न कोषाधिकारियों के माध्यम से ई–ग्रास चालानों द्वारा अंशदान राशि स्वीकार की जाती है।

10. स्वतंत्रता सैनानियों/स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों को पेंशन

राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन तथा इनकी मृत्यु के पश्चात इनके आश्रितों को राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात पारिवारिक पेंशन देय हैं। वर्तमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) पेंशन एवं चिकित्सा सहायता के रूप में रूपये 5000/– (रूपये पाच हजार मात्र) प्रति माह की दर से स्वीकृत किये जा रहे हैं। 01.01.2022 से 31.12.2022 तक 02 प्रकरण में पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किये गये हैं:–

लोक सूचना अधिकारी

लोक प्राधिकरण		निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर	
क.सं.	लोक सूचना अधिकारी	पद	दूरभाष संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक	अति. निदेशक क्षे. का. जयपुर/मुख्यालय जयपुर	0141–2741687
2.	अतिरिक्त /संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक, क्षे. का. अजमेर	0145–2621848
3.	अतिरिक्त /संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक, क्षे. का. जोधपुर	0291–2556538
4.	अतिरिक्त निदेशक	अति. निदेशक, क्षे. का. उदयपुर	0294–2491129
5.	अतिरिक्त /संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक, क्षे. का. बीकानेर	0151–2226621
6.	अतिरिक्त /संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक, क्षे. का. कोटा	0744–2982633
7.	अतिरिक्त /संयुक्त निदेशक	अति. निदेशक, क्षे. का. भरतपुर	05644–220631

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उक्त लोक सूचना अधिकारियों हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर है ।

पेंशन विभाग में सूचना के अधिकार के कार्य सम्पादन हेतु नोडल अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किये गये है :–

नोडल अधिकारी

क.सं.	नोडल अधिकारी	पद	दूरभाष संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय)	अतिरिक्त निदेशक	0141–2740251

गत छः कैलेण्डर वर्षो में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्राप्त आवेदन
2016	581
2017	584
2018	638
2019	909
2020	575
2021	700
2022	760
प्राप्त 760 आवेदन पत्रों मे से 31 आवेदन पत्र प्रकियाधीन है ।	

कैलेण्डर वर्ष 2022 (01.01.2022 से 31.12.2022 तक) में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 53 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें से 51 अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है । 02 अपीलें प्रकियाधीन है ।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर की सेवा क्रमांक 60 एवं 61 के लिए संबंधित सहायक निदेशकों को पदाभिहित अधिकारी, संबंधित लेखाधिकारियों को सहायक पदाभिहित अधिकारी मनोनीत किया गया है । सेवा क्रमांक 64 (3) "पेंशन के जीवनकालीन बकाया के भुगतान हेतु" संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त निदेशकों (वर्तमान में अतिरिक्त निदेशकों) को पदाभिहित अधिकारी व सहायक निदेशकों को सहायक पदाभिहित अधिकारी मनोनीत किया गया है ।

निदेशक, पेंशन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सचिव, प्रशासनिक विभाग (वित्त विभाग) द्वितीय अपील प्राधिकारी है ।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष, 2022 (01.01.2022 से 31.12.2022 तक) में एक भी अपील प्राप्त नहीं हुई है ।

12. पेंशनर्स समस्या निवारण (**PGRC**)एवं राजस्थान स्वास्थ्य योजना सुविधा केन्द्र (**RGHS Facilitation Centre**) की स्थापना

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को " राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत राजकीय/अनुमोदित/विनिर्दिष्ट/पी.पी.पी. मोड पर संचालित चिकित्सालयों में जुलाई 2021 से इन्डोर चिकित्सा सुविधा एवं अक्टूबर 2021 से आउटडोर में चिकित्सा सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। जुलाई 2021 से पूर्व राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निदेशालय के अधीन गठित न्यासी बोर्ड राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना (RPMF) के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही थी। इस न्यासी बोर्ड के अर्न्तगत कार्यरत संविदा कर्मी स्टाफ का वित्त (पेंशन) विभाग के द्वारा पुनर्गठन कर निदेशालय स्तर पर 06 संविदा कर्मी एवं 03 मशीन विद मैन एवं राज्य के सम्भागीय स्तर के 06 कोषालयों में 06 संविदा कर्मी एवं 06 मशीन विद मैन दिनांक 28.02.2023 तक के लिये स्वीकृत किये जाकर पेंशनर्स की चिकित्सा समस्याओं के समाधान एवं पूर्व " राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा योजना" (RPMF) के प्रकरणों में चल रहे न्यायिक प्रकरणों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण आदि के कार्य हेतु एक पेंशनर्स समस्या निवारण एवं राज. स्वास्थ्य योजना सुविधा केन्द्र (RGHS Facilitation Centre) बनाया गया हैं।

वर्तमान में इस पेंशनर्स समस्या निवारण एवं राज. स्वास्थ्य योजना सुवधिा केन्द्र (RGHS Facilitation Cell) के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के " राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा योजना" (RPMF) के अर्न्तगत दिनांक 30.09.2021 तक के बकाया (1)–चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण के संबंध में मार्गदर्शन, (2)–कालातीत चिकित्सा बिलों की स्वीकृति, (3)– विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण का कार्य, (4)– बकाया अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बकाया आक्षेपों के निस्तारण, (5)– आर.जी.एच.एस.(RGHS) रजिस्ट्रेशन एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण में सहायता संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।

दिनांक 31.12.2022 को पेंशन विभाग में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण
शीर्ष बजट मद 2054–00–800–02–00

क्र. सं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पदों की सूचना
1.	निदेशक	1	–
2.	अतिरिक्त निदेशक	8	01
3.	अतिरिक्त निदेशक (PGRC)	1	–
4.	संयुक्त विधि परामर्शी	1	–
5.	संयुक्त निदेशक	2	–
6.	उप विधि परामर्शी	1	01
7.	उप निदेशक	12	04
8.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	–
9.	निजी सचिव	1	–
10.	संस्थापन अधिकारी	1	–
11.	सहायक निदेशक	16	05
12.	प्रोग्रामर	1	–
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	27	08
14.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	01
15.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	–
16.	प्रशासनिक अधिकारी	3	–
17.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	6	04
18.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	8	01
19.	निजी सहायक	4	02
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	17	–
21.	कनिष्ठ लेखाकार	92	17
22.	शीघ्र लिपिक	5	–
23.	सहायक प्रोग्रामर	5	–
24.	वरिष्ठ सहायक	27	03
25.	सूचना सहायक	6	01
26.	कनिष्ठ सहायक	48	16
27.	वाहन चालक	1	01
28.	जमादार	1	01
29.	दफ्तरी	1	01
30.	रेकार्ड लिफ्टर	2	02
31.	च.श्रे.कर्मचारी	42	23
	कुल योग	**345**	**92**

13. <u>उपसंहार</u>

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह विभाग पूर्ण जागरूक एवं कृतसंकल्प है। इस विभाग द्वारा सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण तत्परता से किया जा रहा हैं।